

1482
11/11/08

कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थित:- श्री अनिल संत, कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी :- सर्वश्री लघु उद्योग भारती , 59 इण्डस्ट्रियल स्टेट ,कालपी रोड,कानपुर।
प्रा०प०सं०- 396/2008
प्रार्थी की ओर से- श्री नरेन्द्र शर्मा,अधिवक्ता ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 31-10-08को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गयाहै जिसमें टेन्ट व स्लीपिंग बैग्स पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री नरेन्द्र शर्मा,अधिवक्ता उपस्थित हुये व लिखित तर्क प्रस्तुत किया । उन्होनें उल्लेख किया है कि NEW WEBSTERS DICTIONARY के PAGE 1013 में Tent को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है:-

" Something stretched out or extended ; a portable shelter consisting of some flexible covering,such as,skins,matting or canvas stretched and sustained by pole;to lodge in or furnish of tents,as a group of man,to cover with tents or Something resembling a tent ,to lodge or cover out any tent,ar roll or lint or lines used to toilet and opening of the flesh ".

Wikipedia में Tent को निम्न प्रकार से वर्णित किया गया है:-

" A Tent is a shelter consisting of sheets of fabric or other material draped over or attached to a frame of poles or attached to a supporting rope.While smaller tents may be free-standing or attached to the ground,large tents are usually anchored using guy ropes tied to stakes or pegs. First used as portable homes by nomadic peoples ,tents are now more often used for recreational camping and temporary shelter ".

अधिवक्ता द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों एवं कमिश्नर वाणिज्य कर के परिपत्र संख्या-099 दिनांक 10-01-07 का उल्लेख किया गया है जिसमें यह लिखा गया है कि किसी वस्तु की करदेयता के विवाद के बिन्दु पर मान0 उच्चतम न्यायालय का यह सदैव मत स्थिर रहा है कि ऐसी स्थिति में कामन पारलैन्स लागू करना चाहिए व उसी आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए ।

वैट अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-क के क्रमांक-16 में निम्न प्रविष्टि अंकित है :-

16-	Bed sheet, pillow cover & other textile made ups excluding those made on handloom.
-----	--

सर्वश्रीलघु उद्योग भारती ,59 इण्डस्ट्रियल स्टेट ,कालपी रोड,कानपुर/प्रा0प0सं0-396/2008

भारत में मान्य व प्रयोग में आ रही India Trade Classification उत्पाद का टेरिफ,कस्टम टेरिफ,एच0एस0 कोड की स्थिति निम्नप्रकार है:-

Chapter 63

Other made up textile articles : sets : worn clothing
and worn textile : rags

63.06 Tarpaulins,awnings and sun-blinds,tents;sails for boats, sailboards
or landcraft; camping goods.sss

Heading	H.S.CODE	ITC[HS]CODE	Description	cus. class	cen. Ex.class.
<u>TENT</u>					
63.06	6306.21		-- of cotton	6306 21 00	6306 21 00
		630621.01	--Handloom	--	--
		630621.02	---Millmade	--	--
	6306.22	630622.00	--Of synthetic fibres	6306 22 00	6306 22 00
	6306.29		-- of other textile materials	6306 29	6306 29
		630629.01	--- of jute	6306 29 10	6306 29 10
		630629.09	--- of other textile materials	6306 29 90	6306 29 90

सर्वश्री मेफेयर इण्टरप्राइजेज, लखनऊ के धारा-59 के (प्रार्थना पत्र संख्या- 74/08) में कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 24-2-08 में यह उल्लेख किया गया है कि टैक्सटाइल से जिन वस्तुओं के बनाने में किसी प्रकार की कोई सिलाई नहीं की गयी हो ,उन्हें टैक्सटाइल मेडप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है जैसे साड़ी,धोती,लुंगी,गमछा,सूटिंग एवं शर्टिंग के कपड़े एवं बिना रोयेदार तौलिया । इन वस्तुओं पर किसी प्रकार की कोई सिलाई नहीं होती है । अतः यह वस्तुये टैक्सटाइल /फैब्रिक की श्रेणी में आयेगी और करमुक्त रहेगी। उक्त से स्पष्ट है कि टैक्सटाइल से निर्मित टेन्ट को सेन्ट्रल इक्साइज टेरिफ व कस्टम टेरिफ में अदर मेडप टैक्सटाइल आर्टीकिल में लिया गया है । टेन्ट टैक्सटाइल /फैब्रिक पर सिलाई करके निर्माण किया जाता है व इसमें रस्सी बांधने के लिये आईलेटस लगा दिये जाते है । इस प्रकार यह टैक्सटाइल मेडप है ।

कमश: पृष्ठ 3 पर /

सर्वश्री लघु उद्योग भारती, 59 इण्डस्ट्रियल स्टेट, कालपी रोड, कानपुर/

प्रा0प0सं0-396/2008

रेन्डम हाउस डिकसनरी पेज 1339 में स्लीपिंग बैग्स को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है:-

Sleeping Bags ; A large bag ,usually of warmly padded canvas,or nylon and having a zipper in front ,in wich a person sleeps as when compaing out of doors.

वैट अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-ग के क्रमांक-181 में निम्न प्रविष्टि अंकित है :-

181	Sacks and bags of jute or textile.
-----	------------------------------------

स्लीपिंग बैग्स उक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत आने के कारण इस पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता होनी चाहिए।

4- मैंने व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों व विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये लिखित तर्कों का अवलोकन किया। टैक्सटाइल से निर्मित टेन्ट को सेन्ट्रल इक्साइज टेरिफ व कस्टम टेरिफ में अदर मेडप टैक्सटाइल आर्टीकिल में लिया गया है। यह टैक्सटाइल पर सिलार्ड करके तैयार किया जाता है। अतः यह अदर टैक्सटाइल मेडप की श्रेणी में आते है । अतः इस पर वैट अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-क के क्रमांक-16 पर अंकित प्रविष्टि के अधीन 4 प्रतिशत की दर से करदेयता है। टैक्सटाइल से भिन्न वस्तु से निर्मित टेन्ट टैक्सटाइल अदर मेडप की श्रेणी में नहीं आते है ,अतः इन पर शिडयूल 5 के अन्तर्गत 125 प्रतिशत की दर से करदेयता होगी । अधिवक्ता का यह कथन कि स्लीपिंग बैग्स वैट अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-ग के क्रमांक-181 पर अंकित प्रविष्टि में आता है ,स्वीकार योग्य नहीं है। स्लीपिंग बैग्स वैट अधिनियम की अनुसूची 1,2,3 व 4 में वर्गीकृत न होने के कारण अनुसूची-5 के अन्तर्गत 125 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

4- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

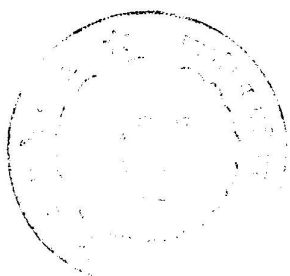
5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 11 नवम्बर, 2008

ह0/11-11-08

(अनिल संत)

कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।



वाणिज्य कर विभाग